(68)

न्यायालय माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

श्री दुष्यन्त कुमार सिंह एड.
द्वारा आज दि. 26/5/17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 26/5/17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-1466-II/17

प्रकरण क्रमांक–

चन्द्रप्रताप सिंह तनय भगीरथ सिंह निवासी ग्राम– बहेरा पूर्व, तह0– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.)
——— आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन
—— अनावेदक / गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर, जिला– सीधी (म.प्र.) द्वारा प्र0क्र0 06 / स्व0 निगरानी / 2015–16 में पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक– 27.03.2017

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर–3

मान्यवर,

पुनरीक्षण मामले का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित हैः–

1. यह कि अधीनस्थ तहसीलदार तहसील– गोपदबनास द्वारा प्रकरण क्रमांक– 84 / अ–19 / 1985–86 में विधिसंगत आदेश दिनांक– 13.01.1986 पारित किया जाकर आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में ग्राम– बहेरा पूर्व, तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी (म.प्र.) स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक– 108 / 7.595 है0 के अंश रकवा 1.821 है0 का व्यवस्थापन पट्टा स्वीकृत किया गया था जिसे आधारहीन तरीके से स्वप्रेरणा निगरानी में लिया जाकर संबंधित प्रकरण क्रमांक– 06 / स्व0 निगरानी / 2015–16 में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक– 27.03.2017 पारित कर अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर, जिला– सीधी (म.प्र.) द्वारा निरस्त कर उपरोक्त ... किये जाने का आदेश जारी किया गया

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1466–दो/17 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री दुष्यंत कुमार सिंह उपस्थित होकर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण कमांक 6/स्व0 निग0/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.3.2017 के विरूद्व यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार तहसील गोपदबनास द्वारा प्रकरण कमांक 84/अ–19/1985–86 में विधिसंगत आदेश दिनांक 13.1.86 पारित किया जाकर आवेदक के पक्ष में ग्राम बहेरा पूर्व तहसील गोपदबनास जिला सीधी स्थित शासकीय भूमि खसरा न0 108 रकवा 7.595 है0 के अंश रकवा 1.181 है0 का व्यवस्थापन पटटा स्वीकृत किया गया था जिसे आधारहीन तरीके से स्वप्रेरणा निगरानी में लिया जाकर संबंधित प्रकरण कमांक 6/स्व0 निग0/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.3.2017 पारित कर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा निरस्त कर उपरोक्त भूमि शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश दिया गया है जो निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा आवेदक की निगरानी ग्राह्य करने का अनुरोध किया गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को	

दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कोई अभिलेखीय साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही दिन में संपूर्ण आदेश पत्रिका लिखते हुये नियत विरूद्व आदेश पारित किया गया है जिससे 20 सूत्रीय समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया हे एवं इसी कारण आदेश पत्रिका लिखते समय प्रकरण में आगामी पेशी नियत कर दिये जाने के बाद उसके पूर्व की तारीख एक दिन में कार्यवाही लिखते समय लिख गयी है इस संपूर्ण टिप्पणी की विवेचना कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में की गई है, जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार गोपदबनास का आदेश दिनांक 13.1.86 कलेक्टर द्वारा निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । अतएव कलेक्टर जिला सीधी. का प्रकरण कमांक 6/स्व0 निग0/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.3.2017 स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य